

22/1/25 पत्रावली जैसा हुई, वकील उभयपक्ष इच्छित प्रकरण
के मूल बाब पर वकील मारपी के आदेश 23 नियम 1, 2
के प्रा. पत्र पर विद्व. से युक्त ही प्रा. पत्र पर निर्दि-
ष्टी आवश्यकता नहीं है। पत्रावली के मूल सुमर लेख
में लख ले पत्र ले।



सहायक कलक्टर एवं
जु. प्र. उ. अधिकारी, भूपालसागर